



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 613 वर्ष 2026

संजय कुमार
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :

आशुतोष गुप्ता, मो. फैजान अली, वंदना गुप्ता

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता :

सीएससी, प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संशोधन आवेदन संख्या 2/2026 के संदर्भ में

1. संशोधन आवेदन के माध्यम से, दिनांक 21.01.2026 के आदेश के पैरा-2 की पंक्ति संख्या 1 और 2 में "उसे स्टाफ नर्स (मेड) के रूप में चुना गया था" से शुरू होने वाले शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर "उसे स्टाफ नर्स (पुरुष) के रूप में चुना गया था" से प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।
2. तदनुसार सुधार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"